

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U84200GJ2018PTC105652

दिनांक : 17 नवम्बर, 2022

श्रीमान उप-वन संरक्षक
झुन्झुनू (राजस्थान)

विषय : उदयपुरवाटी से ग्राम कोट तक ओ.एफ.सी. डालने बाबत।
संदर्भ : आपका पत्रांक एफ()/उबस/2021-22/21794 दिनांक 31.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र दिनांक 31.10.2022 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि जिस 816 मीटर लम्बाई को सम्मिलित करके प्रस्ताव को संशोधित करने के निर्देश दिये गये हैं उस 816 मीटर लम्बाई में सड़क की दूसरी ओर वन भूमि नहीं है, जिसका उल्लेख मौका-रिपोर्ट में भी किया गया है।

उक्त 816 मीटर में हमारे द्वारा वन भूमि के बाहर ही ओ.एफ.सी. डाली जावेगी। इस आशय की अण्डरटेकिंग हम इस पत्र के साथ संलग्न कर अपलोड कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यदि कोई भूमि गैर-वानिकी कार्य हेतु ली जाती है तो प्रयत्न किया जाना चाहिए कि न्यूनतम वन भूमि की मांग की जाये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रस्ताव न्यूनतम वन भूमि हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः निवेदन है कि प्रश्नगत प्रस्ताव को अपनी अनुशंसा के साथ अग्रेषित करने की कृपा करें।

सधन्यवाद

भवदीय

वास्ते जियो डिजिटल फाइबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्न: उपरोक्तानुसार

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शपथ पत्र (Undertaking)

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता इस शपथ पत्र के माध्यम से वचन देता हूँ कि 816 मीटर लम्बाई में जहाँ सड़क के दोनों ओर की बजाय केवल एक ओर ही वन भूमि है वहाँ ओ.एफ.सी. वन भूमि के बाहर डाली जायेगी। उक्त 816 मीटर लम्बाई में वन भूमि का उपयोग हमारे द्वारा नहीं किया जावेगा।


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता